वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सं. 7(2)/5/2024-डीआरसी दिनांक: 27.10.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्रो. बिक्रमजीत बसु के उनके मूल संस्थान में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता के निदेशक पद के लिए अंतरिम व्यवस्था के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी ने सीएसआईआर-केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (CSIR-CGCRI), कोलकाता के निदेशक प्रो. बिक्रमजीत बसु के परिषद सेवा से उनके मूल संस्थान यानी भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। प्रो. बिक्रमजीत बसु को दिनांक 07.11.2026 (अपराह्न) को सीएसआईआर- केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष, सीएसआईआर ने यह मंजूरी दी है कि प्रो. बिक्रमजीत बसु के मूल संस्थान में प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, डॉ. रामानुज नारायण, निदेशक, सीएसआईआर-खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमएमटी), भुवनेश्वर दिनांक 08.11.2026 से, किसी नियमित निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। डॉ. रामानुज नारायण, निदेशक, सीएसआईआर- केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के पद की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

तदनुसार, प्रो. बिक्रमजीत बसु, निदेशक, सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता से अनुरोध है कि वे दिनांक 07.11.2026 (अपराह्न) को सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता के निदेशक पद का कार्यभार डॉ. रामानुज नारायण, निदेशक, सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर को सौंप दें।

(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव (डीआरसी)

प्रो. बिक्रमजीत बसु
निदेशक
सीएसआईआर- केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान
कोलकाता -700 032

डॉ. रामानुज नारायण,
निदेशक
सीएसआईआर- खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान
भुवनेश्वर -751013

प्रतिलिपि:

1. वरि. प्रशा. नियंत्रक/प्रशा. नियंत्रक /प्रशा. अधि./वरि. वि. एवं ले. नियंत्रक/ वि. एवं ले. नियंत्रक/ वित्त एवं लेखाधिकारी, सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता।
2. वरि. प्रशा. नियंत्रक/ प्रशा. नियंत्रक/ प्रशा. अधिकारी/ वरि. वि. एवं ले. नियंत्रक/ वि. एवं ले. नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी, सीएसआईआर- आईएमएमटी, भुवनेश्वर।
3. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख।
4. उपाध्यक्ष कार्यालय, सीएसआईआर।
5. महानिदेशक, सीएसआईआर के कार्यालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर के कार्यालय के अवर सचिव।
7. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
8. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव।
9. विधिक सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव।
10. प्रमुख-सीपीडी/टीकेडीएल/आईपीयू/एचआरडीसी/एचआरडीजी/इसटेड/आरएबी/टीएमडी/आईएमडी/एससीडीडी/ यूआरडीआईपी।
11. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के सभी वरि. उप सचिव/उप सचिव/वरि. उप वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार।
12. प्रमुख, आईटी – सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
13. कार्यालय प्रति।